भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 3589
दिनांक 21.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

अमेरिका से भारतीयों का निर्वासन

3589. **श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल के घटनाक्रमों की जानकारी है जिसमें बड़ी संख्या में भारतीयों को अमरीका से निर्वासित किए जाने की संभावना है;
(ख) यदि हां, तो निर्वासित व्यक्तियों के आगमन को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है;
(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे के प्रत्युत्तर में कोई विशिष्ट कार्रवाई या नीतियां कार्यान्वित की हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे अवैध भारतीयों की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिहं)

(क) से (ङ) अमेरिका पिछले कई वर्षों से अवैध प्रवासियों के निर्वासन अभियान चला रहा है। अमेरिका से भारतीय नागरिकों का निर्वासन तभी स्वीकार किया जाता है जब संबंधित भारतीय एजेंसियों ने लौटने वाले व्यक्तियों की राष्ट्रीयता को पुख्ता तौर पर प्रमाणित कर लिया हो। 2009 से 2024 तक कुल 15564 भारतीय नागरिकों को अमेरिका ने भारत निर्वासित किया है। जनवरी 2025 से अब तक, कुल 388 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत निर्वासित किया जा चुका है।

ऐसे भारतीय नागरिक जिन्होंने किसी देश में अवैध रूप से प्रवेश किया है, या जिन्होंने अपनी वीज़ा वैधता अवधि से अधिक समय तक वहाँ निवास किया है, या बिना किसी वैध दस्तावेज़ के उस देश में निवास कर रहे हैं या जिनके विरूद्ध आपराधिक मामले दर्ज हैं, उन्हें निर्वासित किया जा सकता है। यदि कोई नागरिक विदेश में अवैध रूप से निवास कर रहा है, तो उसे वापस लेना उनके सभी संबंधित देशों का दायित्व है। तथापि, यह उनकी राष्ट्रीयता के प्रमाणिक सत्यापन के अध्यधीन है। यह नीति केवल भारत द्वारा ही प्रयोग में नहीं लाई जाती है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांत है। विदेश मंत्रालय अवैध आव्रजन से निपटने के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और वैध प्रवास को बढ़ावा देने के लिए सहभागी देशों के साथ लगातार संपर्क में है। इस उद्देश्य के लिए वापस आए निर्वासितों के साक्ष्यों के आधार पर, केंद्र और राज्य सरकार के प्राधिकारी ऐसे एजेंटों और अन्य आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, जो अवैध आव्रजन को बढ़ावा दे रहे हैं।

*****